

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक: 465

दिनांक: 8/8/24

- संशोधित कार्यालय आदेश -

इस कार्यालय द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 802 दिनांक 31.07.2024 के वर्ष 2024 के माह अगस्त 2024 एवं सितम्बर 2024 में दिनांक 30.09.2024 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ज्यूटी के लिए आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक रूप से संशोधन किया जाकर दिनांक 09.08.2024 को रिमाण्ड ज्यूटी हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के स्थान पर श्रीमती मोनिका खीचड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी को एवं दिनांक 02.09.2024 को रिमाण्ड ज्यूटी हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट श्रीमती मोनिका खीचड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के स्थान पर श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को रिमाण्ड ज्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष राजकीय अवकाशों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 802 दिनांक 31.07.2024 यथावत प्रभावी रहेगा।

(विपिन बिश्रोई)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)

दिनांक: 8/8/24

क्रमांक: 4701

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/उदयपुरवाटी
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/खेतड़ी/बुहाना/पिलानी/चिड़ावा/उदयपुरवाटी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़।
6. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं/नीमकाथाना समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
7. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस शाखा, झुंझुनूं।
8. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनूं।
9. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(विपिन बिश्रोई)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)